(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 25/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

का.आ. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खण्ड (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 2 मई, 2012 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 मई, 2012 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में क्रम सं. 2 में मौजूदा मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

''(i) धारा 46 की उपधारा (3) और (5) का द्वितीय परंतुक''

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(शैफाली जी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क गै.टे., दिनांक 2 मई, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 993 (अ), के अंतर्गत दिनांक 2 मई, 2012 को प्रकाशित की गई थी और इसमें, दिनांक 17 फरवरी, 2012 की का.आ. सं. 419 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित दिनांक 17.02.2014 की अधिसूचना सं. 12/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।